(121)

श्रीमान अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल, ग्वालियर इन्दौर केम्प

निगरानी प्रकरण क्रमांक :

R-1779-PBR/13

पेशी दिनांक :

रामेश्वर पिता शंकरलाल पाटीदार
निवासी – सावदा तहसील कसरावद
जिला खरगोन

... निगरानीकर्ता

विरूद्ध

श्री मुकेश नारे
प्रार्थी/अभिभाषक द्वारा दिनांक 26-3-2013 को प्रस्तुत
244/26-3-2013

परमानंद पिता शंकरलालजी पाटीदार
निवासी– सावदा तहसील कसरावद
जिला खरगोन

... प्रत्यर्थी

आयुक्त कार्या. इन्दौर से प्राप्त
25-4-13

निगरानी अर्ज अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959

निगरानीकर्ता तर्फे सादर निवेदन है कि :–

निगरानीकर्ता द्वारा सदर निगरानी श्रीमान तहसीलदार महोदय, कसरावद के न्यायालय के प्रकरण क्रमांक 44बी / 121 / 2011–12 मे पारित आदेश दिनांक 05 / 02 / 2013 से व्यथित होकर प्रस्तुत की है।

ऐसा आदेश यदि प्रवृत्त रहता है तो न्याय की विफलता होगी, साथ निगरानीकर्ता जो इस प्रकरण की वादग्रस्त संपत्ति के संबंध मे इसी प्रत्यर्थी के विरूद्ध इसी वाद विषय को लेकर दिवानी न्यायालय मे विजयी रहा है, को अपूर्णीय क्षति कारित करेगा।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक-1779-पीबीआर/13 जिला खरगोन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
13-3-2019	प्रकरण का अवलोकन किया गया । आवेदक पक्ष द्वारा इस न्यायालय में यह निगरानी तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25-9-2018 में लागू हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर न्यायालय को भेजा जाता है । उभय पक्ष दिनांक 30-5-2019 को सुनवाई हेतु कलेक्टर के समक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित हों । उभय पक्ष को सूचना दिया जाये । अध्यक्ष	